<u>समक्ष उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल</u>

<u>दाण्डिक अपील सं 2013 का 427</u>

अशोक कुमार ..अपीलकर्ता

बनाम.

उत्तराखंड राज्य .प्रतिउत्तरदाता

उपस्थित : श्री लोकेंद्र डोभाल, अपीलकर्ता के अधिवक्ता।

श्री अमित भट्ट, उप महाधिवक्ता, राज्य के लिए संक्षिप्त धारक सुश्री ममता जोशी द्वारा सहायता प्राप्त।

<u>दाण्डिक अपीलीय सं 2013 का 447</u>

प्रमोद गुप्ता .. अपीलकर्ता

बनाम.

उत्तराखंड राज्य .प्रतिउत्तरदाता

उपस्थित: श्री नागेंद्र राय, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरविंद वशिष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता, अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री पवन मिश्रा द्वारा सहायता प्राप्त।

श्री अमित भट्ट, उप महाधिवक्ता, राज्य के लिए संक्षिप्त धारक सुश्री ममता जोशी द्वारा सहायता प्राप्त।शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता सुश्री प्रभा नैथानी।

कोरमः <u>माननीय न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया,</u>

<u>माननीय माननीय न्यायमूर्तिरवींद्र मैथानी</u>

<u>माननीय न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया, (मौखिक)</u>

ये दोनों अपीलें प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश आनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम , देहरादून द्वारा विशेष सत्र विचारण सं 38/2008 मे पारित एक निर्णय और आदेश दिनांक 25/26.09.2013 के विरुद्ध हैं, जिसमे प्रमोद प्रमोद गुप्ता और अशोक कुमार को दोषी ठहराया गया और तीसरे अभियुक्त प्रवीण कुमार को बरी कर दिया गया। प्रमोद गुप्ता और अशोक कुमार, जो इस दाण्डिक अपीलीय सं447/ 2013 और दाण्डिक अपीलीय सं 427/2013 मे अपीलकर्ता है, को क्रमशः दोषी ठहराया गया है और निम्नानुसार सजा सुनाई गई हैः

अभियुत प्रमोद गुप्ता को भारतीय दण्ड संघिता सी. की धारा 376 (2) (जी) और धारा 366 के से दोषी ठहराया गया है और धारा 376 (2) (जी) भारतीय दण्ड संघिता के अनर्गत आजीवन कारावास और 50, 000/- के जुर्माने की सजा तथा धारा 366. भारतीय दण्ड संघिता के अनर्गत सात साल की अवधि के लिए कठोर कारावास के साथ 5,000/-के जुर्माने की सजा से दंडित किया गया है । अभियुक्त प्रमोद गुप्ता को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2) (वी) के अंतर्गत भी दोषी ठहराया गया है और आजीवन कारावास की सजा के साथ 10, 000/- के जुर्माना से भी दंडित किया गया है। ।

अभियुक्त अशोक कुमार को भारतीय दण्ड संघिता सी. की धारा 120-बी, 354,366 के अनर्गत दोषसीध गया है और धारा 120-बी भारतीय दण्ड संघिता के अनर्गत दस साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा के साथ 2, 000/- के जुर्माने की सजा से दंडित किया गया है, धारा 354 भारतीय दण्ड संघिता के अनर्गत दो साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और धारा 366 भारतीय दण्ड संघिता के अनर्गत सात साल की अवधि के लिए कठोर कारावास के साथ 2,000/- के जुर्माने की सजा से दंडित किया गया है ।

2. दिनांक 19.04.2008 को पीडिता , जो अपनी स्नातक की पढ़ाई कर रही थी , को अभियुक्त अशोक कुमार देहरादून में "सहारनपुर चौक" नामक स्थान पर ले गया और फिर अशोक कुमार ने दूसरे अभियुक्त प्रमोद गुप्ता को उनके साथ एक होटल में जाने के लिए कहा।अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि पीडिता को अशोक कुमार द्वारा लुभाया गया था, क्योंकि उसने उसे आश्वासन दिया था कि प्रमोद गुप्ता (जो सह-अभियुक्त है) उसे देहरादून में सचिवालय में सरकारी नौकरी दिलाएगा।उन्हें प्रमोद गुप्ता के साथ एक होटल जाने के लिए कहा गया था, क्योंकि उनका नौकरी का साक्षात्कार वहां आयोजित किया जाना था।इस आश्वासन पर, पीडिता प्रमोद गुप्ता के साथ होटल गयी , जहाँ उसके अनुरोध पर उसे एक गिलास पानी दिया गया, जिसमें कथित रूप से मिलावट की गई जिसके कारण पीडिता को चक्कर आ गया ।इसके बाद प्रमोद गुप्ता उसे होटल के एक कमरे में ले गया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया ।बाद में उसने उसकी नग्न तस्वीरें लीं और उसके तुरंत बाद तीन और लोग होटल के कमरे में पहुंचे, जिन्होंने भी पीडिता के साथ बलात्कार किया।

3. इसके बाद अभियोजक को प्रमोद गुप्ता ने सहारनपुर चौक पर छोड़ दिया, जहां अशोक कुमार अपने वाहन में उसका इंतजार कर रहे थे।इसके बाद अशोक कुमार उसे एक सुनसान जगह पर ले गए, जहाँ अशोक कुमार ने उसकी योनि के अंदर एक कांच की बोतल डालकर उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए।यहाँ यह कहना आवश्यक है कि अशोक कुमार एक शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति हैं।उसके दोनों पैरों में चलने की अक्षमता है, और वह जो वाहन चलाता है (जिसका संदर्भ कुछ स्थानों पर आया है), वह भी विकलांगों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया वाहन है।

4. इस घटना के पश्चात पीडिता अपने घर गयी जहाँ वह पूरी तरह से सदमे में थी।वह अशोक कुमार और प्रमोद गुप्ता दोनों से डरती थी, क्योंकि प्रमोद गुप्ता ने उसकी तस्वीरें ली थीं और तस्वीरों के बल पर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था।

5. इस घटना के पश्चात अशोक कुमार ने उसे एक संस्थान में एक पाठ्यक्रम से गुजरने के लिए भर्ती कराया, जो "समाधान" नामक एक गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित किया जा रहा था, और इस पाठ्यक्रम से गुजरने के दौरान, पीडिता ने अपनी कहानी को अपनी रूममेट श्रुति सिन्हा को बताया।श्रुति सिन्हा ने यह बात एनजीओ के प्रभारी सुश्री रेणु डी. सिंह (अभियोजन साक्षी 3) को बताई।।इसके बाद N.G.O की प्रभारी सुश्री रेणु डी. सिंह ने पीडिता को आश्वासन दिया कि उसे दोषियों को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए और उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए, ताकि न्याय हो सके। विश्वास में आने के बाद, पीडिता ने पुलिस स्टेशन राजपुर, जिला देहरादून में दिनांक 19.06.2008 को 09 30 p.m बजे पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी अशोक कुमार और चार अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, क्योंकि इस समय तक प्रमोद गुप्ता की पहचान ज्ञात नहीं थी।विचारण का सामना करने वाले अन्य अभियुक्त प्रवीण कुमार होटल (राजपुर रिज़ॉर्ट) के प्रबंधक थे ।प्रथम सूचना रिपोर्ट. में उनका नाम नहीं था , लेकिन जांच के दौरान उस का नाम सामने आया, और उस पर भारतीय दण्ड संघिता सी. की धारा 328,120-बी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम), 1989 की खंड 3 (2) (vi) का आरोप लगाया गया।फिर भी, उसे विचारण न्यायालय के द्वारा दोषमुक्त कर दिया है।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर , अभियुक्त अशोक कुमार को दिनांक 20.06.2008 पर और दूसरे अभियुक्त प्रमोद गुप्ता को दिनांक 21 .06.2008 पर गिरफ्तार किया गया।

7. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164ए के से दिए गए प्रावधानों के अनुपालन मे पीड़िता की चिकित्सा जांच दिनांक 19.06.2008 को 10:45 पर दून महिला अस्पताल में बजे की गई थीः।पीडिता की चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार उसके दांतों की स्थिति 7 + 7/7 + 8, लम्बाई 5 फीट 2 इंच, स्तन विकसित, वजन 42 किलो , एक्सिलरी और प्यूबिक बाल मौजूद हैं, बाहरी या निजी भागों पर चोट के कोई निशान नहीं हैं।42 किलो।एक्सिलरी और प्यूबिक बाल मौजूद हैं, बाहरी या निजी भागों पर चोट के कोई निशान नहीं हैं।योनि 2 उंगलियों को स्वीकार करती है, हाइमेन फटी हुई, योनि स्मीयर स्लाइड बना कर हिस्टोपैथोलॉजिकल परीक्षा के लिए भेजी गई।उम्र के निर्धारण लिए मूत्र गर्भावस्था परीक्षण किया जाना है एक्स-रे, कलाई, कोहनी, घुटने के जोड़ पर मत रिपोर्ट के पश्चात मत किया जाएगा ।

8. बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट की रिपोर्ट से पता चलता है कि उनकी उम्र 18 साल से अधिक थी।जहाँ तक बलात्कार का संबंध है, रिपोर्ट में कहा गया है कि "बलात्कार के बारे में कोई निश्चित मत नहीं दी जा सकती है"।

9. हालाँकि हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि यह चिकित्सा जांच कथित घटना के दो महीने पश्चात की गई थी।

10. अगले दिन दिनांक 20.06.2008 पर, पीडिता के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अनर्गत दर्ज किए गए थे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 में दर्ज लड़की के बयान मे लड़की की आयु 22 वर्ष दर्ज किया गया है।उसने अपने बयानों मे बताया कि अभियुक्त अशोक कुमार उसका दूर का चचेरा भाई है।उन्होंने उसे देहरादून में सरकारी सचिवालय में सरकारी नौकरी दिलाने का वादा किया।अशोक कुमार ने फिर उसे उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन प्रमोद गुप्ता के साथ एक होटल जाने का लालच दिया।उसके पिता सबसे पहले उसे दिनांक 19.04.2008 की सुबह अभियुक्त अशोक कुमार के घर ले गए, जहाँ अशोक कुमार ने उसके पिता को आश्वासन दिया कि वह उसकी बेटी की अच्छी देखभाल करेगा।लगभग 02:00 p.m. दोपहर में अभियुक्त उसे अपने स्कूटर * पर सहारनपुर चौक ले गया।00 p.m. दोपहर में, अभियुक्त उसे अपने स्कूटर * पर सहारनपुर चौक ले गया।उसने अपना स्कूटर एक सफेद एम्बेसेडर कार के पास खड़ा किया।कार की पिछली सीट पर, एक औसत रंग का गोरा आदमी बैठा था, जिसने क्रीम रंग का सफारी सूट पहना हुआ था।आगे गाड़ी का चालक था।अशोक कुमार ने तब सफारी सूट पहने व्यक्ति को एक उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी के रूप में पेश किया, जो उसका साक्षात्कार लेगा।कार के अंदर बैठे इस व्यक्ति ने उसे "बेटी" कहकर संबोधित किया और एक फॉर्म निकाला जिसे उसे भरने के लिए कहा गया था।उसने उसे फॉर्म के साथ अपनी पासपोर्ट आकार की फ़ोटो लगाने के लिए भी कहा।जब उसने पूछा कि क्या साक्षात्कार सचिवालय में होगा, तो उसे बताया गया कि साक्षात्कार एक होटल में होगा।आखिरकार अशोक कुमार ने दोनों पीडिता और अभियुक्त प्रमोद गुप्ता छोड़ दिया और दोनों होटल की ओर बढ़े, जिसे राजपुर रोड, देहरादून में राजपुर रिज़ॉर्ट कहा जाता है। दोनों होटल के अंदर गए, जहाँ उसे लॉबी में कुछ समय बैठने के लिए कहा गया। तब पीडिता ने कहा है कि वह होटल में असहज महसूस कर रही है और उसने एक गिलास पानी मांगा।उसे एक गिलास पानी दिया गया और पानी पीने के पश्चात उसे चक्कर आने लगे।उन्हें बताया गया कि साक्षात्कार होटल की पहली मंजिल पर होगा, जहां उन्हें प्रमोद गुप्ता द्वारा अनुरक्षित किया गया था।जैसे ही दोनों ने होटल के कमरे में प्रवेश किया, उन्हें बिस्तर पर धकेल दिया गया और फिर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया।इसके बाद प्रमोद गुप्ता ने अपनी जेब से एक रूमाल निकाला जिससे उसका मुंह बंद कर दिया ।इसके बाद, उनके दोनों हाथों को उसके "दुपट्टा" ने बांध दिया।इसलिए वह विरोध करने की स्थिति में नहीं थी।इस बीच, उसने जो तरल पदार्थ पिया था, उसके कारण वह भी पूरी तरह से होश में नहीं थी। अभियुक्त ने उसके साथ तीन बार बलात्कार किया।वह चिंतित थी और पूरी तरह से डरी हुई थी।इस बीच, बलात्कार के दौरान, अभियुक्त प्रमोद गुप्ता ने उसकी नग्न तस्वीरें लेना जारी रखा, जो बलात्कार के पश्चात उसे दिखाई गईं।उसे धमकी दी गई कि अगर उसने इस बारे में किसी से बात की तो इन तस्वीरों को सार्वजनिक कर दिया जाएगा।फिर उसे अशोक कुमार का फोन आया, जिसने कहा कि वह तीन और लोगों को होटल भेज रहा है जो उसके साथ वही काम करेंगे जो अभी उसके साथ किया गया है, क्योंकि वह अब एक वेश्या बन गई है।इसके तुरंत बाद तीन लोग आए, जिनमें से एक नशे में था।उनमें से हर एक ने बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किया।वह विरोध करने की स्थिति में नहीं थी।

* अभियुक्त शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति होने के कारण स्कूटर चलाता था, जो शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए बनाया गया है।

11. उसने यह भी बताया कि उसके बलात्कार के पश्चात उसका खून बह रहा था और उसके पेट में तेज दर्द था।जो व्यक्ति उसे पहले होटल में लाया, वह फोन पर अशोक कुमार को डांट रहा था, जो कि दूसरी तरफ था। प्रमोद गुस्सा शिकायत कर रहे थे कि लड़की (पीडिता) कमजोर और नाजुक थी ।वे अशोक कुमार को दिए जाने वाले पैसे के बारे में भी सौदेबाजी कर रहे थे।इसके बाद चारों कमरे से चले गए।कमरे से बाहर निकलने से पहले, उन्होंने पीडिता को नहाने के लिए कहा था, जो उसने किया।खून बहने के कारण उसे टॉयलेट पेपर भी दिए गए थे।उसे धमकी दी गई थी कि अगर वह कोई शोर मचाती है या चिल्लाती है, तो उसकी वीडियो फिल्म और तस्वीरें सार्वजनिक हो जाएंगी।वह किसी तरह होटल के भूतल तक पहुंची , और फिर कार तक , जिसके दरवाजे को चालक ने खोला।वह कार में उस व्यक्ति के साथ बैठ गई, जो उसे पहले होटल ले आया था।इसके बाद उसे सहारनपुर चौक पर छोड़ दिया गया।

12. सहारनपुर चौक पर अशोक कुमार उनका इंतजार कर रहे थे।अशोक कुमार उसे अपने वाहन में एक सुनसान जगह पर ले गए जहाँ अशोक कुमार ने उसे अपने कपड़े उतारने के लिए कहा।उसने आदेशों का पालन किया क्योंकि उसे फिर से धमकी दी गई थी कि अगर वह नहीं मानती है तो जो फिल्म रिकॉर्ड की गई थी वह उसके पिता को दिखाई जाएगी।फिर उसे फर्श पर लेटने के लिए कहा गया और फिर उसकी योनि में एक कांच की बोतल डाली गई।इससे पहले अभियुक्त अशोक कुमार ने भी उसकी योनि में अपनी उंगलियां डाल दी थीं।फिर उसने बताया कि कैसे अशोक कुमार ने उसे अपमानित किया और उससे एक परपीड़क आनंद प्राप्त किया।अंत में उसे उसके घर पर छोड़ दिया गया।

13. उसने स्वीकार किया कि उसने इस घटना के बारे में तुरंत किसी को नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि उसकी तस्वीरें ले ली गई हैं और उस धमकी के से वह चुप रही।वह भी 15 दिनों तक अस्वस्थ रहीं और ज्यादातर समय उन्हें तेज बुखार था और लगातार खून बह रहा था और पेट में दर्द हो रहा था।इस बीच अशोक कुमार उसे ब्लैकमेल करता रहा।

14. फिर उसने बताया कि 11.06.2008 पर उसे उसकी कोचिंग के लिए "समाधान" नामक एनजीओ में छोड़ दिया गया था और उसे यह भी निर्देश दिया गया था कि उसे उनसे मिलने के आदेश उसे संस्थान से छुट्टी लेनी पड़ेगी ।उसने यह भी बताया कि 5, 000/-रु जो कमाया गया था उसे भी अशोक कुमार ने छीन लिया। 3, 500/- रुपये का एक मसौदा तैयार किया गया था और एनजीओ को दिया गया । एनजीओ कार्यालय में उसने महिला हेल्प लाइन फोन नंबर देखा, जहां उनके दिमाग में एक विचार आया कि यह एक ऐसी जगह है जहां उन्हें कुछ मदद मिल सकती है।फिर दिनांक 13.06.2008 पर अशोक कुमार ने उसे फिर से फोन किया और उसे एनजीओ से बाहर आने के लिए कहा, लेकिन डर से उसने एनजीओ नहीं छोड़ा। वहाँ एनजीओ में उनकी दोस्ती श्रुति सिन्हा नामक एक लड़की से हुई जो दिल्ली की थी।उन्होंने श्रुति सिन्हा को अपनी कहानी बताई , जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि उन्हें "बिग मैम" (अभियोजन साक्षी 3 रेणु डी. सिंह) को पूरे तथ्यों को बताना चाहिए।15.06.2008 पर उसने अपने पिता से अपने कपड़े एनजीओ में लाने के लिए कहा। उस समय तक वह अशोक कुमार के विरुद्ध औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पर्याप्त साहस नहीं जुटा सकी।फिर भी, जब 16.06.2008 पर अशोक कुमार ने उसे फिर से फोन किया और उसे एनजीओ से बाहर आने के लिए कहा। उसने बात नहीं मानी क्योंकि वह पूरी तरह से घबरा गई थी।जब

18.06.2008 को अशोक कुमार ने आखिरकार उसे जान से मारने की धमकी दी, तो उसने 18.06.2008 पर पुलिस को मामले की सूचना दी, और औपचारिक रूप से 19.06.2008 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

15. जैसा कि पहले ही ऊपर बता चुके हैं, एफ. आई. आर. दर्ज होने के बाद और धारा 164दण्ड प्रक्रिया संघिता के अंतर्गत पीडिता दर्ज होने के बाद, दो अभियुक्तों, अशोक कुमार और प्रमोद गुप्ता को क्रमशः दिनांक 20.06.2008 और दिनांक 21.06.2008 पर गिरफ्तार किया गया।तीसरे अभियुक्त प्रवीण कुमार को 25.06.2008 पर गिरफ्तार किया गया था। पहचान परेड 28.06.2008 को हुआ जिसमे उसने अभियुक्त प्रमोद गुप्ता की विधिवत पहचान की कि वह उसे अपनी कार में राजपुर रिज़ॉर्ट ले गया था जहाँ तीन अन्य व्यक्तियों द्वारा उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था।उसके साथ बलात्कार करने वाले शेष तीन लोगों की पहचान कभी नहीं हो सकी।वास्तव में प्रमोद गुप्ता, अशोक कुमार और प्रवीण कुमार के विरुद्ध विचारण चला है।

16. पुलिस ने अपनी जांच पूरी करने के पश्चात 24.07.2008 पर आरोप पत्र दायर किया था।चूंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2) (v) के भी आरोप तय किए गए थे, इसलिए विचारण विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के समक्ष चला ।

17. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए 16 गवाहों को परिक्षित कराया ।

18. अभियोजन पक्ष की गवाहों समाप्त होने के पश्चात अभियुक्त व्यक्तियों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किए गए।

19. बचाव पक्ष के द्वारा दो गवाह सच्चिदानंद डोभाल बचाव साक्षी. 1 और सुमेर चंद्र पार्ले बचाव साक्षी. 2 को परिक्षित कराया गया ।

20. इस स्तर पर यह भी ध्यान देना आवश्यक हैं कि अभियोजन पक्ष का गवाह अभियोजन साक्षी 14 सफेद अंबेसदार कार का चालक है, जो पीडिता को दिनांक 19.04.2008 पर "सहारनपुर चौक" से राजपुर रिज़ॉर्ट तक होटल ले गया था, जहाँ उसके साथ कथित रूप से बलात्कार किया गया था।विचारण से पहले, उसके बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अनर्गत भी दर्ज किए गए थे।

21. दण्ड प्रक्रिया संघिता की धारा 164 के अपने बयान में, उसने स्वीकार किया है कि वह प्रमोद गुप्ता का चालक है और वह उसकी एमबेस्डर कार यू. ए. नं. 07-एस-0007 को चलाता है । दिनांक 19.04.2008 को वे लगभग 02:00 -02:30 बजे वे अपीलकर्ता अशोक कुमार से सहारनपुर चौक पर मिले थे, जो उसके विशेष वाहन पर था ।00-02:30 बजे वे अपीलकर्ता अशोक कुमार से सहारनपुर चौक पर मिले थे, जो उनके विशेष वाहन पर थे।अशोक कुमार के साथ एक लड़की थी, जो बाद में उनकी कार में चली गई।लड़की की उम्र लगभग 21-22 वर्ष थी। उसे प्रमोद गुप्ता ने निर्देश दिया था कि वह उसे राजपुर रिज़ॉर्ट होटल में छोड़ दें। जब कार को होटल की ओर ले जाया जा रहा था, प्रमोद गुप्ता अपने मोबाइल फोन पर किसी से बात कर रहे थे।जैसे ही वे होटल पहुंचे, प्रमोद गुप्ता और लड़की दोनों वाहन से बाहर आए और होटल के अंदर चले गए।फिर उसने बताया कि वहाँ राकेश नामक एक वेटर था जिसने प्रमोद गुप्ता और लड़की को दोनों को सूप परोसा था। उसे भी वाहन में सूप का कटोरा दिया गया।वह आगे कहता है कि होटल में सुनील नामक एक "सफाई कर्मचारी" था, जो अल्मोड़ा का निवासी था, जिससे उसकी दोस्ती उस समय हुई जब वह

प्रमोद गुप्ता का इंतजार कर रहा था।लगभग डेढ़ घंटे पश्चात प्रमोद गुप्ता और लड़की बाहर आए।होटल से वे सीधे "सहारनपुर चौक" गए, जहाँ उसने लड़की को छोड़ दिया।इसके बाद वे अपने घर चले गए।

22. बाद मे यह गवाह पक्षद्रोही हो गया। हम थोड़ी देर में इस पर आएंगे।

23. अभियोजक की जाँच 16.12.2009 पर अभियोजन साक्षी 1 के रूप में की गई थी। वह बताती है कि यह घटना 19.04.2008 की है। उसके भाई अशोक कुमार (जिसे वह अदालत में पहचानती है और शाप देती है), शारीरिक रूप से विकलांग है, उसने उसके विश्वास को धोखा दिया है।उसने आश्वासन दिया था कि वह उसे सचिवालय में सरकारी नौकरी दिलाएगा, लेकिन इसके बजाय उसने उसे इस सब में शामिल कर लिया।फिर वह बताती है कि वह अनुसूचित जाति से है और उसे अभियुक्त द्वारा नौकरी का आश्वासन दिया गया था, जिसके लिए देहरादून के राजपुर रिज़ॉर्ट नामक एक होटल में साक्षात्कार आयोजित किया जाना था। फिर अपनी जाँच में वह लगभग वही कहानी बताती है जो उसने पहले ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के से अपने बयान में विस्तार खंड सुनाई थी, कि कैखंड उखंड होटल ले जाया गया और कैखंड उखंड एक गिलास पानी दिया गया, जिसमें मिलावट की गई और फिर सामूहिक बलात्कार किया गया, और बाद में कैखंड अशोक कुमार उखंड एक अकेली जगह पर ले गया जहां उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध भी किए गए। फिर वह बताती है कि उसकी माँ मर चुकी है और उसके पिता की दूसरी पत्नी है।अशोक कुमार ने घटना के पश्चात उसे ब्लैकमेल करना जारी रखा और लगातार उत्पीड़न से तंग आकर उसने आखिरसेर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से फैसला किया। वह दो महीने तक चुप रही क्योंकि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था और उसे धमकी दी जा रही थी।अशोक की पत्नी, माँ और परिवार के सदस्यों ने भी उसे वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करने की कोशिश की।वह तब कहती है कि इस उद्देश्य के लिए अशोक ने उसे एक एनजीओ द्वारा संचालित संस्थान में एक पाठ्यक्रम में प्रवेश देने की योजना बनाई थी, क्योंकि उसे वहाँ से बाहर निकालना आसान होगा और वह आसानी से एक यौनकर्मी के रूप में काम करेगी।11.06.2008 पर, अशोक ने किसी तरह अपने पिता को मना लिया और उन्हें सात दिनों के पाठ्यक्रम के लिए एनजीओ द्वारा संचालित प्रबंधन विद्यालय में भर्ती कराया गया।जब उन्होंने इस प्रबंधन पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया, तो उन्हें एहसास हुआ कि संस्थान में एक महिला हेल्प लाइन उपलब्ध है।फिर वह बताती है कि कैसे वह श्रुति सिन्हा औरअभियोजन साक्षी 4 संजीव सरकार, पाठ्यक्रम के प्रभारी व्यक्ति से मिली और कैसे अंततः प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।वह दो महीने तक चुप रहने का कारण तस्वीरें, क्लिप और फिल्म है जो अभियुक्त ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड की थी और धमकी दी थी कि इन्हें सार्वजनिक किया जाएगा।इसके बाद अभियोजक से जिरह की गई।वह जवाब देती है कि उसके कितने भाई-बहन हैं।कि उसकी माँ का निधन हो गया है और उसकी माँ की मृत्यु के पश्चात उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली।उनकी सौतेली माँ के पहले की शादी आदि से पाँच बच्चे थे। अभियुक्त अशोक कुमार एक दूर के पारिवारिक चचेरे भाई होने के नाते उसके परिवार को जानता है और वह अक्सर उनके घर जाता था।यह अभियुक्त अशोक कुमार है जिसने खुद एक दलाल होने के नाते उसे वेश्यावृत्ति के रास्ते पर भेजा था।बचाव पक्ष के वकीलों द्वारा उससे विस्तार से जिरह की गई, लेकिन वह अपनी कहानी पर कायम है कि कैसे उसे अशोक कुमार द्वारा "सहारनपुर चौक" ले जाया गया और उसके बाद एक अन्य अभियुक्त प्रमोद गुप्ता द्वारा अपनी कार में राजपुर रिज़ॉर्ट नामक एक होटल में ले जाया गया, जहाँ उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। वह यह भी बताती है कि कैसे उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए गए और अशोक कुमार के हाथों उसे लगातार ब्लैकमेल किया गया।

24. अभियोजन साक्षी 2 महिपाल सिंह अभियोजक के पिता हैं जो देहरादून में छावनी बोर्ड में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के रूप में काम करते थे और अभियोजन पक्ष की कहानी का इस सीमा तक समर्थन करते हैं कि उनकी बेटी को अशोक कुमार ने सचिवालय में सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया था।वह अग्रेतर कहता है कि उसकी बेटी उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन 06.00 बजे घर पहुंची।वह थकी हुई और परेशान भी दिखाई दे रही थी और उसकी हालत सामान्य नहीं थी।इस बीच, उन्होंने अशोक कुमार से बात की, जिन्होंने आश्वासन दिया था कि अभियोजक को एनजीओ में भर्ती कराया जाएगा और उसे बहुत जल्द सरकारी नौकरी मिल जाएगी।

25. अभियोजन साक्षी 3 रेणु डी. सिंह "समाधान" नामक एक गैर सरकारी संगठन की प्रभारी हैं जहाँ अभियोजक सात दिनों से प्रशिक्षण ले रहा था और जहाँ उसने श्रुति सिन्हा से दोस्ती की, जिसे उसने विश्वास दिलाया।अभियोजन साक्षी 3 का कहना है कि वह "समाधान" नामक एक गैर सरकारी संगठन चलाती हैं जो विशेष रूप से "दलित" महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करता है।वह अग्रेतर बताती है कि 11.06.2008 पर, अभियोजक ने उसके एनजीओ में प्रवेश लिया था। उन्हें अशोक कुमार नामक व्यक्ति ने संस्थान में छोड़ दिया था।उस समय वह अशोक कुमार के बारे में कुछ नहीं जानती थीं।बाद में उसे सूचित किया गया कि वह अभियोजक का चचेरा भाई है। अभियोजक की रूममेट श्रुति सिन्हा ने उसे 13.06.2008 पर सूचित किया कि उसकी रूममेट (पीडिता) वास्तव में एक बलात्कार पीड़ित है, जो पूरी रात रोती रहती है।इसके बाद उसे बलात्कार और यातना के बारे में सूचित किया गया।उसे यह भी बताया गया कि वह अपने अपराधियों के हाथों लगातार डर और धमकी में है।उसने तुरंत इस पर अभियोजक का सामना किया, जो तुरंत टूट गया और उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई।यह गवाह (अभियोजन साक्षी 3) तब अभियोजक की पारिवारिक पृष्ठभूमि और उस स्थिति का वर्णन करता है जिसमें वह रह रही थी, जैसे कि उसकी माँ की मृत्यु, सौतेली माँ की उपस्थिति, आदि।

26. अभियोजक की कहानी सुनने पश्चात इस गवाह ने अभियोजक को सूचित किया कि एक बड़ा अपराध किया गया है।अब उसे इस मामले में पुलिस की मदद लेनी चाहिए।17.06.2008 पर, 7 दिवसीय पाठ्यक्रम समाप्त हो गया था और वह 18.06.2008 पर अपने घर वापस चली गई।उसने कहा कि अशोक कुमार उसे परेशान और ब्लैकमेल करना जारी रखता है।एनजीओ के स्वयंसेवक अभियोजक को पुलिस स्टेशन ले गए और वहां से अनुमति लेने के लिए पुलिस महानिदेशक के पास ले गए, और उसके बाद औपचारिक रूप से एक रिपोर्ट दर्ज की गई।यह गवाह इस सीमा तक एक महत्वपूर्ण गवाह है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, मात्र इस गवाह के हस्तक्षेप पर ही अभियोजक ने अंततः अपराधियों के विरुद्ध औपचारिक रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का साहस प्राप्त किया।

27. अभियोजन साक्षी 4 संजीव सरकार अभियोजन साक्षी 3 के पति हैं और उस एफ़. आई. आर. के गवाह हैं जो अंततः गद्यांश के वर्णन पर महिला हैलपलाइन में प्रथम सूचना रिपोर्ट की गई थी।

28. अभियोजन साक्षी 5 डॉ. शिखा जांगपांगी हैं, जिन्होंने दिनांक 19.06.2008 पर अभियोजक की चिकित्सकीय जांच की थी।मेडिकल रिपोर्ट पहले ही ऊपर संदर्भित की जा चुकी है।वह बताती है कि अभियोजक की आयु 18 वर्ष से अधिक थी और वह संबंधित समय पर गर्भवती नहीं थी, और उसके शरीर पर कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं पाई गई थी।अपनी प्रतिपरीक्षा में, वह स्वीकार करती है कि यदि किसी लड़की की योनि में जबरन कांच की बोतल डाली जाती है, तो इसके परिणामस्वरूप गम्भीर चोट लग सकती

है और इसके परिणामस्वरूप गम्भीर चिकित्सा स्थिति हो सकती है।वह कहती हैं कि चोट को ठीक होने में कितना समय लगेगा, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर निर्भर करता है।

29. अभियोजन साक्षी 14 राज कुमार अभियुक्त प्रमोद गुप्ता का चालक है। दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 164 के से दिए गए उनके बयान का उल्लेख पहले ही ऊपर किया जा चुका है।उसकी जांचअभियोजन साक्षी 14 के रूप में की गई थी और दिनांक 02.07.2013 पर की गई उसकी जांच में, वह स्वीकार करता है कि वह प्रमोद गुप्ता का चालक है और नंबर 1 वाली अपनी एमबेस्डर कार यू ए 07/ 0007 चलाता था और वह 2, 500/- रुपये के मासिक वेतन पर चालक के रूप में कार्यरत था। यह गवाह तब एक पूरी तरह खंड अलग कहानी बताता है, जैसे कि दण्ड प्रक्रिया संघिता की धारा 164 के से अपने बयान में उन्होंने जो कहा, वह उसखंड अलग है। वह स्वीकार करता है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, वह वाहन चला रहा था और उसने "सहारनपुर चौक" खंड वाहन चलाया था जहाँ एक लड़की ने उनकी कार रोकने की कोशिश की थी।उन्होंने मालिक से पूछा कि क्या उन्हें कार रोकनी चाहिए, और मंजूरी मिलने पर कार को रोक दिया गया।लड़की की प्रमोद गुप्ता से कुछ बातचीत हुई थी।उसने लड़की को यह कहते हुए सुना कि वह मतदान केंद्र के पास राजपुर रोड पर उससे मिलेगी।इसके बाद वे पटेल नगर, खुरबुरा में पार्टी कार्यालय गए और फिर राजपुर मतदान केंद्र पर गए जहां वे लड़की से मिले, जो कार के अंदर आई और उसके बाद दोनों प्रमोद गुप्ता और लड़की एक रेस्तरां में गए।बाद में आधे घंटे बाद, वे रेस्तरां से बाहर आए। बाद में लड़की ने कहा कि उसे "जाखन" में छोड़ दिया जाना चाहिए।इस बीच, उसे अपने मोबाइल फोन पर एक कॉल आया।इस स्तर पर, इस गवाह को शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया था।

30. फिर भी तथ्य यह है कि इस गवाहअभियोजन साक्षी 14 ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि लड़की वास्तव में उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन "सहारनपुर चौक" पर प्रमोद गुप्ता से मिली थी, हालांकि बाद में उसने कहानी बदल दी है जिसके परिणामस्वरूप उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है।

31. शेष गवाह औपचारिक गवाह हैं।

32. इन साक्ष्यों के आधार पर, विद्वत निचली विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अभियुक्त प्रमोद गुप्ता ने भारतीय दण्ड संघिता सी. की खंड 376 (2) (जी) और 366 के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की खंड 3 (2) (वी) के से अपराध विद्वान है और अभियुक्त अशोक कुमार ने भारतीय दण्ड संघिता सी. की खंड 120-बी, 354 और 366 के से अपराध विद्वान है और इसलिए अभियुक्त प्रमोद गुप्ता और अशोक कुमार को दोषी ठहराया है और सजा सुनाई है, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है।

33. चूंकि तीसरे अभियुक्त, अर्थात् प्रवीण कुमार, जो होटल का प्रबंधक था, के विरुद्ध कुछ भी सार्थक नहीं हुआ है, इसलिए उसे निचली विचारण न्यायालय ने बरी कर दिया है।उसके दोषमुक्ति के विरुद्ध कोई अपील नहीं है।

34. अभियुक्त प्रमोद गुप्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नागेंद्र राय का तर्क होगा कि अभियोजक के बयान के अलावा अभियोजन पक्ष के पास कुछ भी नहीं है, और केवल उसके साक्ष्य के आधार पर, दोषसिद्धि नहीं की जानी चाहिए थी।उन्होंने कथित घटना के दो महीने पश्चात दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलम्ब और इस तथ्य की ओर भी इशारा किया कि चिकित्सा साक्ष्य कथित अपराध की पुष्टि नहीं करते हैं।

35. अभियोजक द्वारा दो महीने तक चुप रहने और दो महीने की विलम्ब के पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से एकमात्र सेरण यह है कि उसे लगातार धमकी दी जा रही थी और प्रमोद गुप्ता द्वारा ली गई तस्वीरों और फिल्म क्लिप के सेरण अशोक कुमार के हाथों उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था, जो अशोक कुमार के साथ मात्र थे।यद्यपि इसके लिए अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष कोई सबूत नहीं रखा है।रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि संभवतः अशोक कुमार और प्रमोद गुप्ता के दो मोबाइल फोन को हिरासत में लिया गया था और उसके बाद हैदराबाद की प्रयोगशाला में फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था।लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा कोई फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं दी गई है और राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने इस अदालत को सूचित किया है कि केस डायरी से यह स्पष्ट है कि रिपोर्ट को कॉल नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक मोबाइल में कोड नहीं खोला जा सकता था और यह मोबाइल प्रयोगशाला के लिए कमोबेश बेकार था।दूसरे के बारे में, कोई तस्वीर नहीं मिली और भले ही उसमें पहले की तस्वीरें हों, उन्हें हटा दिया गया और उन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका।

36. अभियोजन पक्ष ने (निचली विचारण की अनुमति से) लाई डिटेक्टर परीक्षण की भी मांग की है।हालांकि अशोक कुमार ने लाई डिटेक्टर परीक्षण देने अस्वीकार करना कर दिया, लेकिन यह प्रमोद गुप्ता पर किया गया था। प्रश्न संख्या 1 से 3 अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपित अभियोजक की ली जा रही तस्वीरों और ब्लैकमेलिंग से संबंधित थे, जिससे अभियुक्त प्रमोद गुप्ता इनकार करते हैं और परीक्षण के अनुसार यह सच है।शेष प्रश्न जो अभियोजक को होटल लाने, बलात्कार आदि के बारे में थे। पहले ही अस्वीकार कर दिया गया है लेकिन झूठ डिटेक्टर परीक्षण इन बयानों पर एक सवालिया निशान छोड़ देता है।

37. तथ्य यह है कि अभियोजक के संस्करण के अलावा अदालत के समक्ष कोई सार्थक सबूत नहीं रखा गया था, जिस पर हम थोड़ी देर में आएंगे।अभियोजक की चिकित्सा जांच जो 19.06.2008 पर की गई थी, वह भी बलात्कार के मामले का समर्थन नहीं करती है।अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त प्रमोद गुप्ता की कार से एकत्र किए गए अन्य साक्ष्य, होटल से बरामद बेडशीट और अन्य प्रासंगिक सामग्री को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था।फोरेंसिक जांच भी किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करती है, सिवाय इसके कि होटल की चादर में वीर्य का पता चला था।बेडशीट को दो महीने पश्चात बरामद किया गया था, वह भी एक होटल में और वीर्य स्वयं किसी भी अभियुक्त से जुड़ा नहीं है।

38. हम पहले अभियुक्त प्रमोद गुप्ता के मामले को लेंगे जो कि दाण्डिक अपीलीय सं 2013 का 447 में अपीलकर्ता है। हमारे मन में इसमें कोई संदेह नहीं है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिनांक 19.04.2008 पर, अभियोजक को अभियुक्त अपनी एमबेस्डर कार में राजपुर रोड पर होटल/रिसॉर्ट ले गया और उसके बाद दोनों होटल के कमरे में गए और कमरे में डेढ़ घंटे तक रहे। कारण यह है कि अभियोजक के बयान के अलावा, इस तथ्य का समर्थन चालकअभियोजन साक्षी 14 के बयान खंड भी किया जाता है, जो उसने पहले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के से दिया था, हालांकि बाद में वह मुकर गया, फिर भी अदालत में भी उसने बयान दिया है कि प्रमोद गुप्ता उस दिन एक लड़की के साथ था, हालांकि वे एक होटल के बजाय एक रेस्तरां गए थे।इसके अलावा तथ्य यह है कि अभियोजक ने पहचान परेड में प्रमोद गुप्ता की भी पहचान की है।हालांकि पहचान परेड पर विसंगतियों को इंगित किया गया है लेकिन हम बचाव के साथ इस पर सहमत नहीं हैं।

39. यह अभियुक्त प्रमोद गुप्ता है जो उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन अभियोजक को होटल ले गया था, और यह तथ्य अभियोजन साक्षी 16 अजय सिंह के बयान से भी स्थापित होता है, , जो जांच अधिकारी हैं, जिन्होंने प्रमोद गुप्ता के मोबाइल का कॉल विवरण भी प्रस्तुत किया था, जो उसी क्षेत्र में उनकी उपस्थिति को दर्शाता है जहां उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन कथित रूप से अपराध किया गया था।

40. फिर भी प्रश्न अभी भी बना हुआ है कि क्या बलात्कार किया गया है?

41. कथित अपराध 19.04.2008 पर किया गया था। उक्त तिथि पर, "बलात्कार" की परिभाषा जैसा कि भारतीय दण्ड संघिता में प्रासंगिक तिथि पर थी, निम्नानुसार हैः

> "375. बलात्कार,- एक पुरुष को "बलात्कार" करने के लिए कहा जाता है, जो इसके बाद के मामले को छोड़कर, निम्नलिखित छह विवरणों में से किसी के से आने वाली परिस्थितियों में एक महिला के साथ यौन संबंध रखता हैः-
>
> प्रथम - उसकी इच्छा के खिलाफ।
>
> दूसरा- उसकी सहमति के बिना।
>
> तीसरा - उसकी सहमति से, जब उसे या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसमें वह मृत्यु या चोट के डर में रुचि रखती है, डाल कर उसकी सहमति प्राप्त की गई हो।
>
> चौथा- उसकी सहमति से, जब पुरुष को पता चलता है कि वह उसका पति नहीं है, और उसकी सहमति इसलिए दी जाती है क्योंकि वह मानती है कि वह कोई अन्य पुरुष है जिसके साथ वह है या खुद को कानूनी रूप से विवाहित मानती है।
>
> पाँचवाँ- उसकी सहमति द्वारा, जब ऐसी सहमति देने के समय, मन की अस्वस्थता या नशे के कारण या उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप द्वारा या किसी अन्य मूर्खतापूर्ण या हानिकारक पदार्थ के माध्यम द्वारा प्रशासन, वह उस प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ होती है जिसके लिए वह सहमति देती है।
>
> छठा- उससे सहमति के साथ या उसके बिना, जब वह सोलह साल से कम उम्र से हो।
>
> व्याख्याः- बलात्कार के अपराध के लिए आवश्यक यौन संभोग का गठन करने के लिए प्रवेश पर्याप्त है।
>
> अपवाद- एक आदमी द्वारा अपनी ही पत्नी के साथ यौन संबंध, जिसकी पत्नी पंद्रह साल से कम उम्र की नहीं है, बलात्सेर नहीं है।

42. भारतीय दण्ड संघिता की धारा 376 के से "बलात्कार के लिए सजा", जैसा कि प्रासंगिक तिथि पर थी, भी इस प्रकार हैः

> "376. बलात्कार के लिए सजा। (1) जो कोई भी, उप-धारा (2) द्वारा उपबंधित मामलों को छोड़कर, बलात्सेर करता है, उसे किसी भी विवरण के सेरावास से दंडित किया जाएगा जो सात साल से कम नहीं होगा, लेकिन जो आजीवन हो सकता है या ऐसी अवधि के लिए जो दस साल तक बढ़ सकती है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा जब तक कि बलात्सेर की गई महिला उसकी

अपनी पत्नी न हो और बारह साल से कम उम्र की न हो, ऐसे मामलों में उसे किसी भी विवरण के सेरावास से दंडित किया जाएगा जो दो साल तक बढ़ सकता है या जुर्माने या दोनों सेः

बशर्ते कि न्यायालय, निर्णय में उल्लिखित किए जाने वाले पर्याप्त और विशेष कारणों के लिए, सात वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास की सजा दे सकता है।

(2) जो भी -

(ए) एक पुलिस अधिकारी होने के नाते बलात्कार करता है

(i) उस पुलिस थाने की सीमा के भीतर जिसमें वह नियुक्त किया गया है; या

(ii) किसी स्टेशन हाउस के परिसर में, चाहे वह उस पुलिस स्टेशन में स्थित हो या नहीं जिसमें वह नियुक्त किया गया है; या

(iii) किसी महिला को उसकी अभिरक्षा में या उसके अधीनस्थ पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में; या

(ख) लोक सेवक होने के नाते, अपने आधिकारिक पद का लाभ उठाता है और अपनी अभिरक्षा में ऐसी लोक सेवक के रूप में या अपने अधीनस्थ लोक सेवक की अभिरक्षा में किसी महिला के साथ बलात्कार करता है; या

(ग) तत्काल प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उससे स्थापित किसी जेल, अभिरक्षा गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान या किसी महिला या बाल संस्था के प्रबंधन या कर्मचारी पर होना, अपने आधिकारिक पद का लाभ उठाता है और ऐसी जेल, अभिरक्षा गृह, स्थान या संस्था के किसी भी कैदी के साथ बलात्कार करता है; या

(घ) अस्पताल के प्रबंधन या कर्मचारियों पर होने के नाते, अपने आधिकारिक पद का लाभ उठाता है और उस अस्पताल में एक महिला के साथ बलात्कार करता है; या

(ङ) गर्भवती होने की जानकारी होने पर किसी महिला के साथ बलात्कार करता है; या

(च) बारह वर्ष से कम आयु की महिला से बलात्सेर करता है; या

(छ) सामूहिक बलात्कार करता है,

कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो दस वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन जो आजीवन हो सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगाः

बशर्ते कि न्यायालय, निर्णय में उल्लिखित किए जाने वाले पर्याप्त और विशेष कारणों के लिए, दस साल से कम की अवधि के लिए किसी भी विवरण के कारावास की सजा दे सकता है।

स्पष्टीकरण 1 - जहाँ अपने समान इरादे को आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाले व्यक्तियों के समूह में एक या एक से अधिक लोगों द्वारा किसी महिला का बलात्कार किया जाता है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति को इस उप-धारा के अर्थ के भीतर सामूहिक बलात्कार किया हुआ माना जाएगा।

स्पष्टीकरण 2 "महिला या बाल संस्था का अर्थ है एक ऐसी संस्था, जिसे अनाथालय या उपेक्षित महिलाओं या बच्चों के लिए घर या विधवा का घर या कोई अन्य नाम से जाना जाता है, जो महिलाओं या बच्चों के स्वागत और देखभाल के लिए स्थापित और बनाए रखा जाता है।

स्पष्टीकरण 3-"अस्पताल" से अस्पताल का परिसर अभिप्रेत है और इसमें स्वास्थ्य लाभ के दौरान व्यक्तियों या चिकित्सा ध्यान या पुनर्वास की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के स्वागत और उपचार के लिए किसी भी संस्थान का परिसर शामिल है।

43. अपीलकर्ता प्रमोद गुप्ता के विरुद्ध आरोप सामूहिक बलात्कार का है।उपरोक्त प्रावधान का स्पष्टीकरण 1 अग्रेतर स्पष्ट करता है कि "सामूहिक बलात्कार" क्या है।यह है कि "जहां किसी महिला के साथ उनके सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाले व्यक्तियों के समूह में एक या अधिक लोगों द्वारा बलात्कार किया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति को इस उप-धारा के अर्थ के भीतर सामूहिक बलात्कार किया हुआ माना जाएगा।"इसका मतलब यह होगा कि एक व्यक्ति को उस समूह का सदस्य होना चाहिए जो समूह के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, हो सकता है कि उसने वास्तव में पीड़ित का बलात्कार किया हो या न किया हो।जो आवश्यक है वह यह है कि वह समूह का एक व्यक्ति होना चाहिए, जो समूह के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में काम कर रहा है।

44. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क होगा कि यह सामूहिक बलात्कार का मामला नहीं है, और सामूहिक बलात्कार का आरोप इस साधारण कारण से भी तैयार नहीं किया जा सकता है कि यह अभियोजन पक्ष का मामला भी है कि अभियोजक को एक ही व्यक्ति द्वारा होटल में लाया गया था जो प्रमोद गुप्ता था, जिसने तब उसके साथ बलात्कार किया था।बाद में अभियोजक को एक फोन आया और तीन और लोग होटल के कमरे में आए और अभियोजक के साथ बलात्कार किया।इन तीनों व्यक्तियों की कभी पहचान नहीं की गई है और न ही उन्होंने विचारण का सामना किया है।यह स्थापित नहीं किया गया है कि वे प्रमोद गुप्ता के समान समूह के सदस्य थे और बलात्कार समान इरादे और उद्देश्य के लिए किया गया था जैसा कि स्पष्टीकरण 1 में परिभाषित किया गया है।कोई साझा इरादा नहीं है।इसलिए जहां तक अभियुक्त प्रमोद गुप्ता का संबंध है, यह सामूहिक बलात्कार का मामला बिल्कुल भी नहीं है।

45. जहां तक बलात्कार का संबंध है, भारतीय दण्ड संघिता सी. की धारा 375 के से फिर द्वारा बलात्कार के आवश्यक तत्व दिए गए हैं, जैसा कि यह प्रासंगिक दिन था, जो यह कहा जाता है कि एक पुरुष ने बलात्कार किया है जो एक महिला के साथ यौन संबंध रखता है "(i) उसकी इच्छा के विरुद्ध, (ii) उसकी सहमति के बिना, (iii) उसकी सहमति द्वारा, जब उद्वारा या किसी ऐद्वारा व्यक्ति को जिसमें वह मृत्यु या चोट के डर में रुचि रखती है, उसकी सहमति द्वारा प्राप्त की गई है, (iv) उसकी सहमति द्वारा, जब पुरुष को पता है कि वह उसका पति नहीं है, और उसकी सहमति दी जाती है क्योंकि वह मानती है कि वह दूसरा पुरुष है जिसके साथ वह है या खुद को कानूनी रूप द्वारा विवाहित मानती है, (v) उसकी सहमति से, जब, ऐसी सहमति देते समय, मन की अस्वस्थता के कारण या नशा या उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य के माध्यम से किसी मूर्खतापूर्ण या अस्वास्थ्यकर पदार्थ का सेवन, वह उस चीज की प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है जिसके लिए वह सहमति देती है, और (vi) उसके साथ या उसके बिना सहमति, जब वह सोलह वर्ष से कम उम्र की हो

(जोर दिया गया)

46. वर्तमान मामले के तथ्यों से अग्रेतर पता चलता है कि जहां तक उपरोक्त शर्तों (iv), (v) और (vi) का संबंध है, वे वर्तमान मामले के तथ्यों में बिल्कुल भी मौजूद नहीं हैं, भले ही अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार।अब एकमात्र तथ्य जो बचा मात्र वह यह मात्र कि क्या संभोग उसकी इच्छा के विरुद्ध था या उसकी सहमति के बिना; या उसकी सहमति से जो उसे मृत्यु या चोट के डर से प्राप्त किया गया था।इस महत्वपूर्ण तथ्य पर पहुंचने के आदेश अभियोजक का घटना के बाद का आचरण अत्यंत महत्वपूर्ण है।वह उसी कार में जाती है जिसमें वह होटल आई थी, फिर उसी जगह i.e "। सहारनपुर चौक "।वह किसी भी समय कोई अलार्म नहीं बजाती है।इतना ही नहीं, कथित घटना के तुरंत पश्चात यह एक स्वीकृत तथ्य मात्र कि वह अभियुक्त अशोक कुमार के घर में उसके परिवार के साथ पांच दिनों तक रही, जिसने वास्तव में उसे इस सब में झोंक दिया था, और जो मुख्य अपराधी थे, उसके अनुसार। यदि वह किसी भी अभियुक्त के हाथों किसी भी तरह की धमकी या जबरदस्ती या ब्लैकमेलिंग के से थी, तो कथित कायरतापूर्ण घटना के पश्चात उसके लिए अभियुक्त अशोक कुमार के घर में रहने का कोई कारण नहीं था, जब उसके साथ कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया गया था, जिसमें अशोक कुमार एक साजिशकर्ता के रूप में एक पक्ष था।लेकिन यह सबूत में आया है कि अभियोजक 5 से 7 दिनों की अवधि के लिए दो बार अभियुक्त अशोक कुमार के साथ उसके घर में रहा।उसने अभियुक्त अशोक कुमार के विरुद्ध अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और उसने उसकी योनि के अंदर कांच की बोतल डालने आदि के आरोप भी लगाए हैं।अभियोजन साक्षी 5 डॉ. शिखा जांगपांगी, जिन्होंने अभियोजक की चिकित्सा जांच की, ने पुष्टि की है कि इसके परिणामस्वरूप एक महिला के निजी हिस्से पर किसी प्रकार की चोट लगना तय है।इस आशय का कोई सबूत नहीं है कि उक्त घटना के पश्चात अभियोजक को चोटें आईं।यह एक स्वीकृत तथ्य है कि वह किसी भी डॉक्टर के पास नहीं गई थी या खुद को किसी चिकित्सक, या यहां तक कि रिश्तेदार को भी नहीं दिखाया था।हालांकि दो महीने की अवधि के पश्चात की गई चिकित्सा जांच, और इसलिए जो भी इसकी कीमत है, उसके शरीर पर ऐसी किसी भी चोट का पता नहीं चलता है।

47. इसलिए हमारे सामने प्रतिवादियों/अपीलार्थियों का तर्क दो गुना है।उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले पर हमला किया है, पहला प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में अत्यधिक विलम्ब के आधार पर और दूसरा तर्क यह है कि दोषसिद्धि अभियोजक की एकमात्र गवाही पर आधारित नहीं हो सकती है।

48. जहाँ तक प्रथम सूचना रिपोर्ट करने में विलम्ब का सवाल है, विशेष रूप से बलात्कार के मामले में, यह घातक या हर मामले में महत्वपूर्ण भी नहीं है।यह सब मामले की प्रकृति और तथ्य पर निर्भर करता है।अदालत को मामले की प्रकृति और विलम्ब के लिए स्पष्टीकरण पर गौर करना चाहिए। विलम्ब महत्वपूर्ण नहीं होगी जहां अभियोजन पक्ष के पास विलम्ब के लिए उचित स्पष्टीकरण हो।दूसरे शब्दों में, विलम्ब स्वयं अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर नहीं करेगा, जब यह उचित हो, या जहां इसे उपयुक्त रूप से समझाया गया हो।

49. **मोहम्मद अली उपनाम गुड्डू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2015) 7 एस. सी. सी. 272** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बलात्कार के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विलम्ब पर यह कहा थाः

"21. यहां यह उल्लेख करना उचित है कि बलात्कार के मामलों में अभियोजक या माता-पिता द्वारा सभी परिस्थितियों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विलम्ब का कोई महत्व नहीं है।इस न्यायालय के अधिकारियों ने एक रूढ़िवादी सामाजिक परिवेश में खुद को उजागर करने का साहस जुटाने के लिए पीड़ित के मन में अशांति पैदा करने वाली पीड़ा और पीड़ा के संबंध में पर्याप्त सुरक्षा/भत्ता प्रदान किया है।कभी-कभी सामाजिक कलंक का डर और कभी-कभी सामान्य स्थिति प्राप्त करने के लिए चिकित्सा उपचार की उपलब्धता और सर्वोपरि इस तरह की कानूनी लड़ाई शुरू करने के लिए मनोवैज्ञानिक आंतरिक शक्ति।

50. इस मामले में, स्पष्ट रूप से कथित घटना के दो महीने पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है।वर्तमान मामले में वास्तव में अत्यधिक विलम्ब हो रही है।अत्यधिक विलम्ब से एकमात्र सेरण यह मात्र कि अभियोजक इन दो महीनों के दौरान सदमे में था और डर के मारे जी रहा था क्योंकि दोनों अभियुक्तों ने उसकी अश्लील तस्वीरों की वीडियोग्राफी की थी और वे लगातार उद्वारा ब्लैकमेल कर रहे थे।यह व्याख्या विभिन्न कारणों से मान्य नहीं है।सबसे पहले, यह भी सबूत में आया है कि कथित घटना के पश्चात वह दो बार अभियुक्त अशोक कुमार के घर में 5 से 6 दिनों तक रही और विशेष रूप से मोबाइल फोन जिनसे वीडियोग्राफी की गई थी या तस्वीरें ली गई थीं और फोरेंसिक जांच के लिए भेजी गई थीं, फिर भी इसमें से कुछ भी सामने नहीं आया है।इसलिए, जबरदस्ती और ब्लैकमेलिंग की धमकी साबित नहीं हुई है। इसलिए विलम्ब की व्याख्या नहीं की गई है।श्रुति सिन्हा वह लड़की है जिसके साथ अभियोजक ने पहली बार खुलकर बात की थी।अदालत में उसका खुलासा सार्थक रहा होगा और कुछ सीमा तक विलम्ब को भी समझाया।यद्यपि उसे अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया है।

51. **(2013) 2 एस. सी. सी. 791** में रिपोर्ट किए गए **राजेश पटेल बनाम झारखंड राज्य** के मामले में, 11 दिनों की एफ. आई. आर. प्रथम सूचना रिपोर्ट करने में विलम्ब को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घातक माना गया था।अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों में से एक यह था कि अभियोजक को धमकी दी गई थी कि अगर वह किसी से शिसेयत करती है, तो उसे मार दिया जाएगा, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीसेर नहीं किया गया था।**मोहम्मदअली उपनाम गुड्डू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** के बाद के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले पर फिर से भरोसा किया गया है। जो कि **(2015) 7 एस. सी. सी. 272** में रिपोर्ट किया।

52. दूसरा पहलू अभियोजक की गवाही के बारे में है।यह सच है कि साक्ष्य को तौलना पड़ता है और गिना नहीं जाता है।यह साक्ष्य की गुणवत्ता है जो मायने रखती है, और हां दोषसिद्धि अभियोजक की एकमात्र गवाही पर आधारित हो सकती है, जो कानून का एक तय सिद्धान्त है।लेकिन जब दोषसिद्धि अभियोजक की एकमात्र गवाही पर आधारित हो सकती है, तो अदालत को ऐसे साक्ष्य का मूल्यांकन करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।इस पर कानून का तय सिद्धान्त यह भी है कि यदि अभियोजक का साक्ष्य विश्वसनीय पाया जाता है और अदालत का विश्वास प्रेरित करता है, तो अदालत द्वारा इस पर भरोसा किया जा सकता है और इसे किसी अन्य साक्ष्य द्वारा पुष्टि करने की भी आवश्यकता नहीं है।ऐसे मामलों में अभियोजक का साक्ष्य एक घायल गवाह के साक्ष्य के बराबर होता है। लेकिन अगर किसी मामले में यह सबूत ऊपर बताए गए स्तर का नहीं है, तो अदालत को कहीं और पुष्टि की तलाश करनी चाहिए।इस पहलू का सारांश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **हेम राज पुत्र मोती राम बनाम हरियाणा राज्य** के मामले में **(2014) 2 एस. सी. सी. 395** में दिया गया है, जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह कहना हैः

"6. बलात्कार के आरोप से जुड़े मामले में अभियोजक का साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण होता है।यदि यह विश्वसनीय पाया जाता है, यदि यह पूर्ण आत्मविश्वास को प्रेरित करता है, तो बिना किसी पुष्टि के भी इस पर भरोसा किया जा सकता है।यद्यपि यदि अदालत उस पर अंतर्निहित अवलम्ब रखने में संकोच कर रही है, तो उसे आश्वासन देने के लिए अन्य सबूतों पर विचार कर सकती है, जो किसी साथी के मामले में आवश्यक पुष्टि से कम है।(महाराष्ट्र राज्य बनाम चंद्रप्रकाश केवलचंद जैन, (1990) 1 एस. सी. सी. 550 देखें)।अभियोजक के साक्ष्य को इस तरह का महत्व दिया जाता है क्योंकि उसका साक्ष्य एक घायल गवाह के साक्ष्य के बराबर होता है जो शायद ही कभी विश्वास पैदा करने में विफल रहता है।अभियोजक के साक्ष्य को इतने ऊंचे स्तर पर रखने के बाद, अदालत का कर्तव्य है कि वह इसकी सावधानीपूर्वक जांच करे, क्योंकि किसी दिए गए मामले में उस एकमात्र साक्ष्य पर एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है।इसलिए, न्यायालय को अपने समृद्ध अनुभव के साथ सावधानी मात्र सावधानी के साथ ऐसे साक्ष्य का मूल्यांकन करना चाहिए मात्र अपनी साख के बारे में अपनी अंतरात्मा के संतुष्ट होने के पश्चात ही उस पर भरोसा करना चाहिए।

53. उपर्युक्त मामले में, निचली विचारण न्यायालय के साथ-साथ अपील न्यायालय ने अभियोजक की एकमात्र गवाही पर बलात्कार के अभियुक्त को दोषी ठहराया था, जिसे गलत माना गया था और दोषसिद्धि को अपास्त दिया गया था।बेशक, प्रत्येक मामले के तथ्य अलग-अलग होते हैं, लेकिन हमें कानून की कसौटी पर तथ्यों का मूल्यांकन करना होगा जो यह है कि हालांकि अभियोजक का साक्ष्य किसी दिए गए मामले में दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है, इस साक्ष्य की जांच की जानी चाहिए और यदि कोई संदेह है, तो अदालत द्वारा कहीं और पुष्टि की जानी चाहिए।

54. वर्तमान मामले में, अभियोजक की गवाही के अलावा, कोई अन्य सार्थक सबूत नहीं है।आइए अब हम अभियोजक के बयान की जांच करें। यह सच है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट आर. में, और बाद मेंदण्ड प्रक्रिया संघिता की खंड 164 के से मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में और अंत में अपनी मुख्य परीक्षा और जिरह में, वह बलात्कार की कहानी पर अडिग रही है।फिर भी, किसी भी स्तर पर वह कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं समर्थ है, या तो विलम्ब के बारे में, या अपीलार्थियों के हाथों तथाकथित खतरे की धारणा के बारे में, जो उसे ब्लैकमेल कर रहे थे।चिकित्सा साक्ष्य भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करते हैं।घटना के तुरंत पश्चात उसका आचरण भी उसके मामले को कमजोर कर देता है, जिस पर हम अब आएंगे।

55. घटना खंड पहले और पश्चात में पीडिता के आचरण को साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 8 को ध्यान में रखते हुए देखा जाना चाहिए।साक्ष्य अधिनियम, 1872 की खंड 8 निम्नानुसार हैः

"**8. अभिप्रेरणा, तैयारी और पूर्व या बाद का आचरण-** कोई भी तथ्य प्रासंगिक है जो मुद्दे या प्रासंगिक तथ्य में किसी भी तथ्य के लिए एक उद्देश्य या तैयारी को दर्शाता है या गठित करता है।

ऐसे मुकदमा या कार्यवाही के संबंध में, किसी मुकदमा या कार्यवाही के लिए किसी पक्षकार या किसी पक्षकार के किसी अभिकर्ता का आचरण, या उसमें जारी या प्रासंगिक किसी तथ्य के संदर्भ में, और किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण, जिसके विरुद्ध कोई कार्यवाही का विषय है, प्रासंगिक है, यदि ऐसा आचरण मुद्दे या प्रासंगिक तथ्य में किसी तथ्य को प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है, और क्या वह उससे पहले या बाद में था।

स्पष्टीकरण १- इस धारा में "आचरण" शब्द में बयान शामिल नहीं हैं, जब तक कि वे बयान बयानों के अलावा अन्य कार्यों के साथ और व्याख्या नहीं करते हैं; लेकिन यह स्पष्टीकरण इस अधिनियम खंड किसी अन्य धारा के से बयानों खंड प्रासंगिकता को प्रभावित नहीं करता है।

स्पष्टीकरण २जब किसी व्यक्ति का आचरण प्रासंगिक होता है, तो उसे या उसकी उपस्थिति और सुनवाई में दिया गया कोई भी बयान, जो इस तरह के आचरण को प्रभावित करता है, प्रासंगिक होता है।

56. जब वह होटल के परिसर या होटल के कमरे में घुसी तो उस पर कोई बल या जबरदस्ती नहीं की गई।बलात्कार की कथित घटना के तुरंत पश्चात फिर से उसकी ओर से शोर मचाने या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने या किसी भी तरह की शिकायत करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है।इसका उनका स्पष्टीकरण अश्लील तस्वीरें हैं, जिनके बारे में कोई सार्थक सबूत नहीं है। इसके अग्रेतर वह घटना के पश्चात 5 से 7 दिनों तक अभियुक्त अशोक कुमार के साथ रही।यह सब कम से कम उसकी गवाही पर संदेह पैदा करता है।इसलिए हमारी सबसे अधिक मत में निचली विचारण न्यायालय अभियोजक की एकमात्र गवाही पर अभियुक्त को दोषी ठहराने में सही नहीं थी।

57. इन परिस्थितियों में, हमारा मत है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता प्रमोद गुप्ता के विरुद्ध उचित संदेह के बाद अपने मामले को साबित करने में समर्थ नहीं है।संदेह अभियुक्त का है।उसे संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए था।नतीजतन, दाण्डिक अपीलीय सं 2013 का 447 स्वीकार होने योग्य है।

58. जहाँ तक 2013 की दाण्डिक अपीलीय में अपीलकर्ता, अभियुक्त अशोक कुमार का संबंध है, उसके विरुद्ध भी वही सबूत हैं।उपरोक्त कारणों से, हमारा मत है कि अभियुक्त अशोक कुमार दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं था और संदेह का लाभ दिए जाने के लिए उत्तरदायी था, और बरी कर दिया गया।

59. इस मामले का एक और पहलू है, जिसे अब संदर्भित किया जाना चाहिए।जहाँ तक 2013 की दाण्डिक अपीलीय में अपीलकर्ता अशोक कुमार का संबंध है, उन पर मात्र विशेष न्यायाधीश द्वारा भारतीय दण्ड संघिता की धारा 366 और 377 के अंतर्गत आरोप लगाया गया था। उन पर कभी भी भारतीय दण्ड संघिता सी. की खंड 120-बी या भारतीय दण्ड संघिता सी. की खंड 354 के से आरोप नहीं लगाया गया, फिर भी उन्हें भारतीय दण्ड संघिता सी. की खंड 366,120-बी और 354 के से दोषी ठहराया गया है। स्वीकृत रूप से , अपीलकर्ता अशोक कुमार पर कभी भी खंड 120-बी या भारतीय दण्ड संघिता सी. की खंड 354 के से आरोप नहीं लगाया गया था।

60. इस पहलू को दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 464 के आलोक में देखा जाना चाहिए, जो इस प्रकार हैः

"464-फ्रेम में चूक, या की अनुपस्थिति में या चार्ज में त्रुटि का प्रभाव- (1) सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायाधीशालय द्वारा कोई भी निष्कर्ष, सजा या आदेश मात्र इस आधार पर अमान्य नहीं माना जाएगा कि कोई आरोप नहीं बनाया गया था या आरोप में कोई त्रुटि, चूक या अनियमितता के आधार पर, जिसमें कोई गलत उत्तर या आरोप शामिल हैं, जब तक कि अपील, पुष्टि या संशोधन न्यायाधीशालय की मत में, न्यायाधीश की विफलता वास्तव में इसके कारण नहीं हुई है।

(2) यदि अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण न्यायाधीशालय की मत है कि वास्तव में न्यायाधीश की विफलता हुई है, तो वह -

(क) आरोप तय करने में चूक की स्थिति में, आदेश दें कि आरोप तय किया जाए और आरोप तय होने के तुरंत पश्चात विचारण को उस बिंदु से फिर से शुरू किया जाए।

(ख) आरोप में त्रुटि, चूक या अनियमितता के मामले में, किसी भी तरीके से बनाए गए आरोप पर नए विचारण का निर्देश दें जो वह उचित समझेः

बशर्ते कि यदि न्यायालय की मत है कि मामले के तथ्य ऐसे हैं कि साबित किए गए तथ्यों के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध कोई वैध आरोप नहीं लगाया जा सकता है, तो वह दोषसिद्धि को रद्द कर देगा।

61. यह सच है कि किसी न्यायाधीशालय के निष्कर्ष और सजा को मात्र इस आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकता है कि आरोप नहीं बनाया गया था या आरोप में त्रुटि, चूक या अनियमितता के आधार पर, अन्य बातों के साथ, आरोप तैयार करने पर, फिर भी तथ्य यह है कि यदि अपील न्यायालय या यहां तक कि पुनरीक्षण न्यायाधीशालय का विचार है कि इस तरह अन्य बातों के साथ साथ चूक के परिणामस्वरूप न्यायाधीश अन्य बातों के साथ साथ विफलता हुई है तो मामले को रिमांड पर लिया जाएगा।यद्यपि हम इस मुद्दे पर विचार नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम पहले ही मान चुके हैं कि साक्ष्यों के आधार पर, दोषसिद्धि उचित नहीं थी।

62. नतीजतन, दोनों अपीलों की अनुमति दी जाती है।निचली विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता प्रमोद गुप्ता और अशोक कुमार पर निचली विचारण न्यायालय के फैसले और दिनांक 25/ 26.09.2013 के आदेश के माध्यम से लगाई गई दोषसिद्धि और सजा को इसके द्वारा अपास्त दिया जाता है।अपीलकर्ता पहले से ही जमानत पर हैं।उनके जमानतनामे रद्द कर दिए जाते हैं और प्रतिभूओं को रिहा कर दिया जाता है।

63. निचली न्यायालय के अभिलेख के साथ इस निर्णय की एक प्रति आगे के अनुपालन के लिए संबंधित न्यायालय को भेजी जाए।

(न्यायमूर्ति रवींद्र मैथानी,) **(न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया,)**

21.02.2019

अवनीत /